


राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़
"योजना भवन" सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
केपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर
(☎ 0771-2511218, 2511223)

क्रमांक / 30 / रा.यो.आ. / 2017 / नया रायपुर, दिनांक 02/02/2017

// निविदा सूचना //

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित योजना भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर में केन्टीन की व्यवस्था यथाशीघ्र किया जाना है। केन्टीन हेतु आयोग द्वारा एक पेन्ट्री, बिजली, पानी सहित उपलब्ध कराई जावेगी। अतः केन्टीन संचालित किये जाने हेतु सामाग्रियों की सूची एवं दर सहित कार्यालय राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़, योजना भवन, सेक्टर - 19, नॉर्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर में सीलबंद लिफाफा में दिनांक 10 फरवरी, 2017 शाम 5.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।


केन्टीन संचालन की निविदा शर्तों साथ में संलग्न है।


(अमिताभ पाण्डे)
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग,
छत्तीसगढ़

राज्य योजना आयोग

योजना भवन, नया-रायपुर

1. सफल व्यक्ति/फर्म को दर स्वीकृत होने पर 7 दिवस के अंदर अमानत के तौर पर 2000 रू. जमा करना होगा ।
2. फर्म द्वारा परिसर में किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का गंदगी नहीं फैलाएगा यदि ऐसा पाया गया तो 100 रू. फाईन किया जावेगा ।
3. सफल फर्म की अवधि 2 वर्ष के लिए होगी यदि कार्य संतोषप्रद पाया गया तो दोनों पक्षों की सहमती से 1 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी ।
4. फर्म का कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में आयोग द्वारा उसे एक तीन पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।
5. फर्म द्वारा खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की सही पैकिंग एवं सही समय का ध्यान रखा जावेगा यदि खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ एक्सपाईरी हो गई हो तो उसे आयोग परिसर में नहीं रखा जावेगा और न ही किसी को दिया जावेगा उसे बाहर ले जाकर डिसपोज किया जावेगा ।
6. फर्म की जो दरे अनुमोदित की गई है उसी दर पर ही विभाग को एवं विभाग के बाहर से आये हुए अथितियों एवं कर्मचारियों को अनुमोदित दर पर ही खाद्य पदार्थ दिया जावेगा ।
7. फर्म को आयोग द्वारा जो स्थान उपलब्ध किया जावेगा उस स्थान पर लगे पंखे एवं अन्य उपकरणों को किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ या छेड़छाड़ नहीं करेगा यदि ऐसा करते पाया गया तो तत्काल ही उक्त फर्म को नोटिस देकर उसकी निविदा समाप्त कर दी जावेगी ।
8. फर्म द्वारा खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों दरों की सूची सामने बोर्ड में लगाना होगा ।
9. फर्म को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा ।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में शर्तों के अधीन आयोग के संचालक का निर्णय अंतिम होगा एवं फर्म संचालक पर बंधनकारी होगा ।


सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
छत्तीसगढ़, रायपुर.